

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

मिसल नम्बर

67 / 2019 / प्रा.पत्र / 2019

तारीख दायरा

18.11.2019

सुखराम खोखर

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

24.01.2010

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री बजरंग लाल जैन जाति महाजन निवासी मेहन्दवास गेट  
संधपुरा पुरानी टोंक,टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स बजरंग लाल अशोक कुमार मेहन्दवास  
गेट संधपुरा पुरानी टोंक टोंक,जिला टोंक
- 2- मैसर्स बजरंग लाल अशोक कुमार मेहन्दवास गेट संधपुरा पुरानी टोंक टोंक,जिला टोंक

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26  
(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थी उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 24.01.2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.05.2019 को समय 1.00 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स बजरंग लाल अशोक कुमार मेहन्दवास गेट संधपुरा पुरानी टोंक टोंक,जिला टोंक पर पहुंचा। प्रोपरायटर की हैसियत से श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री बजरंग लाल जैन जाति महाजन निवासी मेहन्दवास गेट संधपुरा पुरानी टोंक,टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स बजरंग लाल अशोक कुमार मेहन्दवास गेट संधपुरा पुरानी टोंक टोंक,जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में घी (खुला) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर एफ.बी.ओ. श्री अशोक कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता अशोक कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

*Neu*  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

1008



आवेदक द्वारा दुकान में एक कागज के कार्टून में 14 थैलियों में लगभग 14 किलोग्राम घी(खुला) रखे हुये में से 800 ग्राम एक जग में वेईंग मशीन से तुलवाकर वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये में से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री अशोक कुमार जैन को ₹0 220/-अक्षरे दो सौ बीस रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा घी(खुला) 800 ग्राम को पूर्णतया होमोजिनियस कर प्लास्टिक के साफ व सूखे डिब्बो में प्रत्येक कमे 200-200 ग्राम बराबर-बराबर भरकर डिब्बो के ढक्कन को अच्छी तरह एयर टाइट बंद कर चार भाग तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2171 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारों नमूना भागों को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2171 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. अशोक कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/1284 दिनांक 03.06.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय एवं जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1238/एक्ट/2019/832 दिनांक 27.05.2019 एवं निदेशक, रेफरल फूड लेब मैसूर अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 30.08.2019 अनुसार अशोक कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया घी(खुला) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zz) (iv)के अनुसार असुरक्षित (Unsafe) व अवमानक (Sub-Standard) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का घी(खुला) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार

1009  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक



किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस घी(खुला) का विक्रय कर रहा था वह जांच में व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया घी(खुला) का नमूना जांच में व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) अप्रार्थी श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री बजरंग लाल जैन जाति महाजन निवासी मेहन्दवास गेट संधपुरा पुरानी टोंक, टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स बजरंग लाल अशोक कुमार मेहन्दवास गेट संधपुरा पुरानी टोंक टोंक, जिला टोंक पर शास्ति 10,000(अक्षरे दस हजार रू०) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 24.01.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



*acu*  
(सुखराम खोखर)  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
ऑरिजिनल जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक  
टोंक-राज०

